

# न्यायालय तहसीलदार खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)

रा०प्र०क०/202411110600007 / अ/27/2024-25

ग्राम— बरौण्डा प०ह०न० 39

लोकेश्वरी धीवर  
पिता स्व० डोमार जाति ढीमर  
निवासी ग्राम बरौण्डा  
तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ०ग०)

.....आवेदक

## विरुद्ध

- (1) तुलसी  
पिता स्व० डोमार धीवर  
(2) ईश्वर धीवर  
(3) शांति धीवर  
(4) कांति धीवर  
(5) मालती धीवर  
(6) जानकी धीवर  
(7) कमला बाई  
सभी पिता तीजूराम धीवर  
निवासी ग्राम बरौण्डा  
तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ०ग०)

.....अनावेदकगण

## आदेश

( पारित दिनांक ।०.०६.२०२३ )

आवेदिका लोकेश्वरी पिता स्व० डोमार धीवर निवासी ग्राम बरौण्डा तहसील खरोरा के द्वारा आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत कर ग्राम बरौण्डा प०ह०न० 39 रा०नि०म० 39 बंगोली तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ०ग०) स्थित भूमि ख०न० 76/18, 76/95, 147/1, 166/30, 378/7 रकबा 0.210, 0.089, 0.037, 0.162, 0.122 हे० कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.620 हे० भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में लोकेश्वरी पिता डोमार, तुलसी पिता डोमार, ईश्वर पिता तीजूराम, शांति पिता तीजूराम, कांति पिता तीजूराम, मालती पिता तीजूराम, जानकी पिता तीजूराम, कमला बाई पति तीजूराम जाति ढीमर के नाम पर शामिल खाता में दर्ज है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का खाता विभाजन किये जाने की मांग किया है।

प्रकरण में ईश्तहार प्रकाशन ग्राम एवं दैनिक समाचार पत्र में कराया गया। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं।

प्रकरण में आवेदिका लोकेश्वरी धीवर पिता स्व० डोमार धीवर जाति ढीमर निवासी ग्राम बरौण्डा तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ०ग०) का व्य.प्र.संहिता अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 के तहत शपथपूर्वक कथन लिया गया। जिसके अनुसार ग्राम बरौण्डा प०ह०न० 39 रा०नि०म० 39 बंगोली तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ०ग०) स्थित भूमि कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.620 हे० भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में आवेदिका एवं अनावेदकगण के नाम पर शामिल खाता में दर्ज है। उक्त आवेदित भूमि मेरी पैतृक सम्पत्ति है जो कि पूर्व में मेरे पिता डोमार के नाम पर शामिल खाता में दर्ज था तथा मेरे पिता डोमार की मृत्यु उपरांत मेरे नाम पर वारिसान हक से दर्ज हुआ है। जिस पर मेरा तथा खरोरा अनावेदकगण का बराबर बराबर हक व अधिकार है। उपरोक्त आवेदित भूमि शामिल खाता जिला-रायपुरके दर्ज होने के कारण आवेदिका एवं अनावेदकगण को उक्त भूमि से संबंधित कार्य करने

के लिए एक साथ उपस्थित होने में कठिनाई होती है। आवेदिका द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि को अंश के आधार पर खाता विभाजन किये जाने का कथन किया है।

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में हल्का पटवारी से फर्द प्रतिवेदन लिया जाकर फर्द सूची का प्रकाशन ग्राम में कराया गया।

प्रकरण में संलग्न समस्त दस्तावेज का अवलोकन किया। ग्राम बरौण्डा प0ह0नं0 39 रानिमं0 बंगोली तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ0ग0) स्थित भूमि ख0नं0 76/18, 76/95, 147/1, 166/30, 378/7 रकबा कमशः 0.210, 0.089, 0.037, 0.162, 0.122 हे0 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.620 हे0 भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में लोकेश्वरी, तुलसी पिता डोमार धीवर, ईश्वर, शांति, कांति, मालती, जानकी पिता तीजूराम धीवर, कमलाबाई पति तीजूराम धीवर के नाम पर शामिल खाता में दर्ज है।

अतः छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत ग्राम बरौण्डा प0ह0नं0 39 रानिमं0 बंगोली तहसील खरोरा जिला रायपुर (छ0ग0) स्थित भूमि ख0नं0 76/18, 76/95, 147/1, 166/30, 378/7 रकबा कमशः 0.210, 0.089, 0.037, 0.162, 0.122 हे0 कुल खसरा 05 कुल रकबा 0.620 हे0 भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।

पक्षकार का नाम	ख0नं0	रकबा (हे0 में)	लगान (रु0 में)
पक्षकार कमांक (एक) लोकेश्वरी, तुलसी पिता डोमार जाति ढीमर	378/7 का भाग	0.089	0.22
योग	01	0.089	0.22
पक्षकार कमांक (दो) शांति पिता तीजूराम जाति ढीमर	166/30 का भाग	0.073	0.20
योग	01	0.073	0.20
पक्षकार कमांक (तीन) कांति पिता तीजूराम जाति ढीमर	76/18 का भाग	0.089	0.22
योग	01	0.089	0.22
पक्षकार कमांक (चार) मालती पिता तीजूराम जाति ढीमर	76/18 का भाग	0.089	0.22
योग	01	0.089	0.22
पक्षकार कमांक (पांच) जानकी पिता तीजूराम जाति ढीमर	166/30 का भाग	0.089	0.22
योग	01	0.089	0.22
पक्षकार कमांक (छः) ईश्वर पिता तीजूराम जाति ढीमर	76/18 का भाग, 147/1, 378/7 का भाग	0.032, 0.037, 0.033	0.08, 0.10, 0.08
योग	03	0.102	0.26
पक्षकार कमांक (सात) कमलाबाई पति तीजूराम जाति ढीमर	76/95	0.089	0.22
योग	01	0.089	0.22

हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारा प्रतिवेदन इस आदेश का

अंश माना जावेगा।

तत्पश्चात प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल रिकार्ड हो।



तहसीलदार  
खासा  
जिला-रायपुर (छ.ग.)